ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जलोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 08-XIII/2025 तारीख मजरूआ : 02–08–2025

श्री राजू पुत्र स्व0 भीमी राम, निवासी ग्राम चपडानी, डाकघर हिमरी, उप–तहसील जलोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र।

प्रार्थी श्री राजू पुत्र स्व0 भीमी राम, निवासी ग्राम चपडानी, डाकघर हिमरी, उप–तहसील जलोग, जिला शिमला (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 12–06–2025 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भू–राजस्व अभिलेख मौजा चपड़ानी मे प्रार्थी का नाम इन्दराज पुत्र भीमी राम दर्ज राजस्व कागजात है, जोकि गलत है। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को छानबीन हेतु पटवारी हल्का करयाली को भेजा गया। पटवारी पटवार वृत्त करयाली से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मौजा चपड़ानी में प्राथी का नाम इन्द्रराज पुत्र भीमी राम दर्ज है। मुताबिक ब्यानात स्थानीय वाशिन्दगान तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, ग्राम पंचायत करयाली से जारी परिवार नकल, शपथ–पत्र तथा आठवीं कक्षा के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम राजू है, जोकि सही है। जिससे स्पष्ट होता है कि इन्द्रराज व राजू एक ही व्यक्ति के दो नाम ह। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मौजा चपड़ानी पटवार वृत्त करयाली के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम राजू उर्फ इन्द्र राज किया जाना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 03–10–2025 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस अदालत में अपना उजर/एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बार कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन–पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील जलोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।

–––––––––